न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 109/2022 तारीख दायर :–04.03.2022 दिनांक निर्णय :–15.03.2022

सरकार जरिये पटवारी हल्का भजेड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

2022/45

बनाम

1.प्रभातीलाल पुत्र कन्नाराम उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़

2.दयाचन्द पुत्र कन्नाराम उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़

3.प्रभूदयाल पुत्र कन्नाराम उर्फ कन्हैयालाल जाति मीना निवासी भजेड़ा तहसील राजगढ़

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भजेड़ा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायलान प्रभातीलाल, दयाचन्द, प्रभुदयाल पुत्रान कन्नाराम उर्फ कन्हैयालाल जातियान मीना निवासीयान भजेड़ा के राजकीय चारागाह चाही प्रथम, जाव प्रथम भूमि के आ0ख0न0 130 रकबा 0.76 हे0 पर सरसो की फसल काश्त कर सम्वत् 2078 मे अतिक्रमण कर लिया है।

राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस जारी किया गया। गैरसायलान की ओर से प्रभुदयाल उपस्थित आया। जिसके सम्बंध मे गैरसायलान के द्वारा नोटिस का जवाब व कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। गैरसायलान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बेदखली के आदेश दिये जाते है। साथ ही सरह लगान के 14.26 रू की 50 गुणा राशि 713/–रू पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ व पटवारी हल्का भजेड़ा को राजस्व लेखों में पेनल्टी राशि की मांग कायमी हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0 निरीक्षक को निर्देश दिये जाते है कि फसल को कब्जे राज लेकर, नीलामी कार्यवाही कर वास्ते स्वीकृति प्रस्तुत करने हेतु लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखली कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की नकल से अवगत करावे।

दिनांक 15.03.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
पृष्ठ संख्या 06 पर ची. पं. 713/-

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार राजगढ़
जिला अलवर